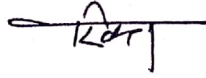


प्रारूप - 24परियोजना का नाम - भटाड़ पेयजल योजनान्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है, व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।




अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण शाखा, उत्तर प्रदेश पेयजल निगम,
विकासनगर, मिर्जापुर पुस्तक-1


उप-प्रमुख, वनाधिकारी
पुस्तक-1


ह0/-
प्रभागीय वनाधिकारी


वज वरुण


वन क्षेत्राधिकारी
बाबर रैंज
विल्हाड / कण्डोला